|  |
| --- |
| **अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस:** **ई-नीलामी दि. 19/09/2023**  **क्षेत्रीय कार्यालय: साउथ एवेन्यू मॉल के सामने ग्वारीघाट रोड,पोलिपाथर , जबलपुर** |

****

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **“जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है” एवं “दायित्व रहित”** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रमांक** | **ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा** | **मांग सूचना दिनांक**  **आधिपत्य दिनांक**  **बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार )** | **साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार** | **आरक्षित मूल्य** | |
| **अग्रिम धरोहर जमा राशि** | |
| **बिड वृद्धि राशि** | |
| 1. | **मे. सबुरी फार्मा**  **प्रोप: श्री प्रवीन कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय (उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** एम. पी. एच. बी. | 01/03/2023  11/05/2023  रु. 1,46,17,536.68 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | शॉप न. 24, कोरपोरेशन लीज प्लाट नो 131(पुराना) न्यू 35A, हाउस न 131/5 दवा मार्किट, नेपिअर टाउन , शास्त्री ब्रिज के पार जबलपुर 48200, कुल रकबा 232.5 वर्गफुट भूमि पर निर्मित रकबा 232.5 वर्गफुट भूतल एवं 170 वर्गफुट प्रथम तल एव 170 वर्गफुट दूसरा तल तथा 180 वर्गफुट तलघर), **संपत्ति/ भवन स्वामी:-**श्री प्रवीन कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय, **चतु:सीमा:** उत्तर – आम रास्ता , पूर्व- कनक इंटरप्राइजेज, दक्षिण – खुला जमीन, पश्चिम- ड्रग एंड डील, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **1,56,30,000** |
| **रु** | **15,63,000** |
| **रु** | **50,000** |
| 2. | **मे. शुभांगी इंफ्रा**  **श्री सर्वज्ञ दुबे पुत्र श्री अमित दुबे (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** नेपियर टाउन | 10/08/2022  16/12/2022  रु. 1,39,19,993.46 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | ग्राम मेढी प ह न. 51/18 रा नि मं. खसरा नं 176 का भाग 0.800 हेक्ट. तह. निवास जिला मंडला , **चतु:सीमा:** उत्तर –विक्रेता की शेष भूमि ,दक्षिण- संतोष पुत्र नोखेलाल की भूमि , पूर्व- मुख्य मार्ग , पश्चिम- विक्रेता की शेष भूमि**, संपत्ति- स्वामी / बंधककर्ता** : श्री सर्वज्ञ दुबे पुत्र श्री अमित दुबे, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **30,00,000** |
| **रु** | **3,00,000** |
| **रु** | **20,000** |
| 3. | **ए.डी.इंडस्ट्रीज़**  **प्रोप. श्रीमति दीप्ति जेसिका सिंह पति श्री अभिषेक डेविड (उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** नेपियर टाउन | 11/07/2022  16/12/2022  रु. 1,30,23,357.41 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | म.प्र. औद्योगिक केंद्र विकास निगम लि. जबलपुर की लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लीज होल्ड राइट वा उस पर निर्मित भवन/शेड : प्लॉट न. 7, सेक्टर ई-IV, (P&H)इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर मनेरी, ग्राम मनेरी, तहसील निवास जिला मंडला (म.प्र) क्षेत्रफल- 25 X 40= 1000 वर्गमीटर,संपत्ति/ **भवन स्वामी**: श्रीमति दीप्ति जेसिका सिंह पति श्री अभिषेक डेविड प्रोप. मे. ए.डी.इंडस्ट्रीज़, **चतु:सीमा** उत्तर-18 मी. चौड़ी सड़क, पूर्व -प्लॉट क्र 6, दक्षिण-प्लॉट क्र 25, पश्चिम -प्लॉट क्र 8, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **30,00,000** |
| **रु** | **3,00,000** |
| **रु** | **20,000** |
| 4. | **मे. वेद मशरूम**  **प्रोप. श्रीमति सरोज बर्मन पत्नी श्री धर्मेंद्र बर्मन**  **(उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** एम. पी. एच. बी. | 09/07/2020  25/09/2020  रु 1,47,31,829 + ब्याज + विधिक व्यय | मौजा बरखेड़ा, तहसील पनागर, प.ह.नं 10/26, एनएच 7 से लगभग 1 किमी अंदर खसरा नं 721/1 का भाग, कुल रकबा 0.420 हेक्टेयर (डायवर्टेड भूमि क्षेत्रफल 22500 वर्गफुट) डायवर्टेड भूमि एवं भूमि पर निर्मित शेड, **संपत्ति स्वामी** : श्रीमति सरोज बर्मन पत्नी श्री धर्मेंद्र बर्मन, **चतु:सीमा** : उत्तर-ग्रामीण रास्ता, पूर्व -संपत्ति सिद्धार्थ कहार खसरा नं. 717, दक्षिण -संपत्ति खसरा नं. 722, पश्चिम -संपत्ति खसरा नं. 435 की शेष भूमि। **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **45,00,000** |
| **रु** | **4,50,000** |
| **रु** | **20,000** |
| 5. | **मे. पी.एस. उद्योग**  **पार्टनर- श्री सतीश सुगानी पुत्र श्री प्रेमचंद सुगानी एवं श्रीमति माया सुगानी पत्नी श्री दिलीप सुगानी)**  **(उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** एम. पी. एच. बी. | 01/01/2020  17/03/2020  रु 80,03,623 + ब्याज + विधिक व्यय | प्लॉट नं. 101, सेक्टर-ई-4, इंडस्ट्रियल एरिया, मनेरी, जिला मंडला (म.प्र) कुल रकबा 1000 वर्गमीटर पर भूमि एवं निर्मित शेड, **संपत्ति स्वामी** :श्रीमति माया सुगानी पत्नी श्री दिलीप सुगानी, **चतु:सीमा** : उत्तर:रास्ता , पूर्व -प्लॉट नं. 100, दक्षिण -प्लॉट नं. 125,पश्चिम -प्लॉट नं. 102, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **22,00,000** |
| **रु** | **2,20,000** |
| **रु** | **10,000** |
| 6. | **मे. पी.एस. इंडस्ट्रीस**  **पार्टनर- श्री दिलीप सुगानी पुत्र श्री प्रेमचंद सुगानी एवं श्रीमति कविता सुगानी पत्नी श्री सतीश सुगानी (उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** एम. पी. एच. बी. | 01/01/2020  17/03/2020  रु 79,54,731 + ब्याज + विधिक व्यय | प्लॉट नं. 100, सेक्टर-ई-4, इंडस्ट्रियल एरिया, मनेरी, जिला मंडला (म.प्र) कुल रकबा 1000 वर्गमीटर एवं उस पर निर्मित शेड, **संपत्ति स्वा**मी :पार्टनर- श्री दिलीप सुगानी पुत्र श्री प्रेमचंद सुगानी, **चतु:सीमा** : उत्तर-रास्ता, पूर्व –रास्ता, दक्षिण -प्लॉट नं. 126, पश्चिम-प्लॉट नं. 101, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **17,00,000** |
| **रु** | **1,70,000** |
| **रु** | **10,000** |
| 7. | **मे.नर्मदा एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज**  **पार्टनर- 1.श्रीमति ज्योति गौतम पति श्री प्रियान्शु मिश्रा, 2.श्रीमति पूजा यादव पति श्री तरुण यादव, 3.श्री प्रियान्शु मिश्रा पिता श्री लक्ष्मी कान्त मिश्रा 4.श्री सुमेध येवलकर पिता श्री महेश येवलकर**  **(उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** जबलपुर सिटी | 31/12/2019  20/08/2020  रु 73,90,575 + ब्याज + विधिक व्यय | म.प्र. औद्योगिक केंद्र विकास निगम लि. जबलपुर की लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लीज होल्ड राइट वा उस पर निर्मित भवन/शेड : प्लॉट न.8 सेक्टर बी-I,(P&H) इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर मनेरी,ग्राम मनेरी,तहसील निवास जिला मंडला(म.प्र.) प्लॉट एरिया 2000 वर्गमीटर। **संपत्ति स्वामी**: मे.नर्मदा एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज। **चतु:सीमा:** उत्तर- 18 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व-प्लॉट क्र-09, दक्षिण- प्लॉट क्र-24, पश्चिम- प्लॉट क्र-07, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **31,95,000** |
| **रु** | **3,19,500** |
| **रु** | **20,000** |
| 8. | **मे. गोल्डन एग्रीवेंचर (पार्टनर: श्री सिद्धार्थ सिंह कहार एवं श्री राहुल सरावगी) (उधारकर्ता /गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** एम. पी. एच. बी. | 09/07/2020  25/09/2020  रु 1,57,71,255 +ब्याज + विधिक व्यय | ग्राम बरखेड़ा, तहसील पनागर, जिला जबलपुर, प.ह.नं 10/26, एनएच 7 से लगभग 1 किमी अंदर खसरा नं 721 का भाग, कुल रकबा 0.200 हेक्टेयर (डायवर्टेड भूमि क्षेत्रफल 21500 वर्गफुट) डायवर्टेड भूमि एवं भूमि पर निर्मित शेड, **संपत्ति/ भवन स्वामी** :श्री सिद्धार्थ सिंह कहार पुत्र श्री मोहन लाल कहार , **चतु:सीमा** : उत्तर-ग्रामीण रास्ता, पूर्व -संपत्ति सिद्धार्थ कहार , दक्षिण -संपत्ति खसरा नं. 722, पश्चिम -संपत्ति खसरा नं. 435 की शेष भूमि, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **34,00,000** |
| **रु** | **3,40,000** |
| **रु** | **20,000** |
| 9. | **सोमनाथ फूड इंडस्ट्रीज़ प्रोप - श्रीमति गायत्री मूरजानी पत्नी श्री मोहनीश मूरजानी (उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** एम. पी. एच. बी. | 02/02/2018  18/04/2018  रु 7108101+ रु 2066683+ ब्याज + विधिक व्यय | लीज डीड प्लॉट नं. 21, फूड पार्क मनेरी, जिला मंडला (म.प्र) कुल रकबा 1650 वर्गमीटर, **संपत्ति/ भवन स्वामी**: श्रीमति गायत्री मूरजानी पत्नी श्री मोहनीश मूरजानी, **चतु:सीमा:** उत्तर-रोड, पूर्व -प्लॉट नं. 22, दक्षिण -प्लॉट नं. 32, पश्चिम, प्लॉट नं. 20, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **48,00,000** |
| **रु** | **4,80,000** |
| **रु** | **20,000** |
| 10. | **श्री मुकेश चौधरी पिता स्व. श्री कोमल चंद चौधरी**  **संबंधित शाखा:** विजय नगर | 16/12/2022  16/03/2023  रु 13,91,145/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | न. ब. 660 पटवारी हल्का न. 25/31 रा. नि. म. जबलपुर-1 तहसील एवं जिला जबलपुर स्थित भूखण्ड, प्लॉट नं. 624 स्तार क्र. 9 भूखण्ड क्र. 11/624 डायवर्सन खसरा नं. 152/1 प्लॉट रकवा 30 बाई 50 यानि 1500 वर्गफुट यानि 139.40 वर्गमीटर राष्ट्रीय गृह निर्माण समिति मर्यादित त्रिमूर्ति नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड तहसील व जिला जबलपुर मध्य प्रदेश.**चतु:सीमा**: उत्तर – साइड रोड,दक्षिण- मुकेश चौधरी की संपत्ति, पूर्व-साइड रोड, पश्चिम-प्लॉट नं. 623, **संपत्ति- स्वामी / बंधककर्ता** 1) श्री मुकेश चौधरी पिता स्व. श्री कोमल चंद चौधरी, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **35,85,500** |
| **रु** | **3,58,550** |
| **रु** | **20000** |
| 11. | **मे. प्रसुक किड्सवियर**  **(प्रोप. श्री प्रशांत कुमार जैन पुत्र श्री प्रभात जैन)**  **श्रीमति संध्या जैन पत्नी श्री प्रभात कुमार जैन (गारंटीदाता)**  **संबंधित शाखा:** नेपियर टाउन | 24/10/2018  05/03/2021  रु 14,82,039/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | परमानेंट ब्लॉक नं. 105, प्लॉट नं. 78 का हिस्सा आफ्टर म्यूटेशन 78/1, मकान क्र 368 का हिस्सा (नया 443), खटीक मोहल्ला, सराफा वार्ड, जबलपुर (म.प्र) एरिया 407 वर्गफुट  **संपत्ति/ भवन स्वामी**: श्रीमति संध्या जैन पत्नी श्री प्रशांत कुमार जैन  **चतु:सीमा :**  उत्तर-मकान श्री बाबूलाल जैन, पूर्व- मकान श्रीमति शकुंतला जैन, दक्षिण - कॉमन पेसेज,पश्चिम -मकान श्रीमति सुगंधी बाई जैन व श्रीमति सुलोचना बाई जैन, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **14,33,000** |
| **रु** | **1,43,300** |
| **रु** | **10,000** |
| 12. | **श्री अनवरुद्दीन पिता श्री महमूद अहमद**  **(उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** जी. सी. एफ़. | 11/08/2021  03/12/2021  रु 14,36,175/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | मौजा ग्राम गुरदा, न.बं.-600, प.ह.नं. 24 (पुराना) 81 (नया), नया वार्ड क्र 74, खसरा नं. 81 का भाग मे से यूनिट नं. ए-2 का रकबा 15 X 50 = 750 वर्गफुट, रा.नि.मं. महाराजपुर, विकास खंड पनागर, जिला जबलपुर , **संपत्ति स्वामी/ बंधककर्ता**: श्री अनवरुद्दीन पिता श्री महमूद अहमद , चतु:सीमा:उत्तर-विक्रेता की संपत्ति, पूर्व -यूनिट नं. ए-1,दक्षिण-20 फुट साइड रोड,पश्चिम- यूनिट नं. ए-3, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **13,36,625** |
| **रु** | **1,33,662** |
| **रु** | **10,000** |
| 13. | **श्री अहफाज अहमद पिता श्री एजाज अहमद**  **(उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा:** एम. आई. सी. आई. | 11/08/2021  02/12/2021  रु 17,49,222/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | मौजा गढ़ा, नं.बं. 599, प ह नं. 33, रा.नि. मं. जबलपुर-1, पटवारी व डायवर्सन खसरा नं. 301/6, 302/5, 303/5, 304/5, 305/6, 306/5, 307/5, 308/6, 309/6, 310/6 का कुल प्लॉट एरिया 3488 वर्गफुट मे से विक्रय डुप्लेक्स क्र ‘डी’ का क्षेत्रफल 750 वर्गफुट, गढ़ा वार्ड मे चन्दन कॉलोनी मे मुख्य मार्ग से अंदर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) , **चतु:सीमा**:उत्तर-सोनी जी का मकान ,पूर्व -विश्वकर्मा जी का मकान, दक्षिण -साइड रोड ,पश्चिम -डुप्लेक्स नं. ‘सी’, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **19,36,000** |
| **रु** | **1,93,600** |
| **रु** | **10,000** |
| 14. | **मो. इरफान पिता श्री मो. सुलमान (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता)**  **संबंधित शाखा** :एम. आई. सी. आई. | 07/10/2020  02/12/2021  रु 16,51,834/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | साम्य बंधक भूमि एवं भवन: मौज़ा गढ़ा, नं.बं. 599, प.ह.नं. 33, पीसी 06, रा.नि.मं. जबलपुर-1, तहसील एवं जिला जबलपुर - पटवारी एवं डायवर्सन खसरा नं. 301/6, 302/5, 303/5, 304/5, 305/6, 307/5, 308/6, 309/6, 310/6 का कुल रकबा 3500 वर्गफुट मे से विक्रय डुप्लेक्स क्र. सी क्षेत्रफल 15X50 = कुल 750 वर्गफुट (69.70 वर्गमीटर) एवं उसपर निर्मित भवन, **संपत्ति/ भवन स्वामी**: मो. इरफान पिता श्री मो. सुलमान , **चतु:सीमा**:उत्तर-सोनी जी का मकान ,पूर्व -डुप्लेक्स नं. डी, दक्षिण -साइड रोड, पश्चिम -डुप्लेक्स नं. बी, **प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **19,36,000** |
| **रु** | **1,93,600** |
| **रु** | **10,000** |
| 15. | **श्री मोहन सिंह पिता श्री चम्मा सिंह (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता)**  **श्रीमति रश्मि विश्वकर्मा पति श्री राजेश विश्वकर्मा (गारंटीदाता)**  **श्री आशीष सिंह मरावी पिता श्री ज्ञान सिंह (गारंटीदाता)**  **संबंधित शाखा** :बिलहरी जबलपुर | 07/07/2021  02/12/2021  रु 28,38,347/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | साम्य बंधक भूमि एवं भवन:: मौज़ा-घाना, खसरा नं. 86/1 (पुराना) का भाग नामांतरण उपरांत खसरा नं 86/35, प.ह.नं. 57 (पुराना) 14 (नया), नं.ब 634, प्लॉट नं. 86/35, तहसील – पनागर , जिला–जबलपुर (म.प्र.) क्षेत्रफल: 2400 वर्गफुट ( 40 फुट बाई 60 फुट**) संपत्ति/ भवन स्वामी**: श्री मोहन सिंह पिता श्री चम्मा सिंह, **चतु:सीमा:**उत्तर-मुस्तरी बानो का मकान एवं ओपन प्लॉट,पूर्व- खमरिया कर्मचारी प्लॉट,दक्षिण-साइड रोड कालोनी,पश्चिम-कुजूर का मकान ,**प्रलक्षित कब्जा** | **रु** | **23,00,000** |
| **रु** | **2,30,000** |
| **रु** | **10,000** |

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर उपलब्ध लिंक देखें। **हेल्पलाइन नंबर 033-22901004 या क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर प्राधिकृत अधिकारी (मो. 8226014333 )** से संपर्क कर सकते है।

**ये संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।**

**दिनांक: 05/08/2023**

**स्थान: जबलपुर (म.प्र) कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी**



**REGIONAL OFFICE - JABALPUR**

|  |
| --- |
| **चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 11.07.2023**  **विस्तृत नियम एवं शर्तें** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ई-नीलामी तिथि एवं समय** | **ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय** |
| **19.09.2023**  **समय: दोपहर 01.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक** | **18.09.2023**  **साँय 5.00 बजे तक** |

**नियम एवं शर्तं**

1. ई-नीलामी **“जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित“** के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
2. नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – **दिनांक 19.09.2023 को (समय: 01.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी।** निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे “बिड बोली वृद्धि राशि” के गुणन मे वृद्धि कर सकता है।
3. विस्तृत विवरण को डाउनलोड़ करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) http:// [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) पर आएं व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp> है।
4. निविदाकर्ता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp> पर विजिट कर सकते हैं जहां निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।

निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:

प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।

द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है‌)।

तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।

चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वतीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।

**कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।**

1. ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी,ए.जी.सी. बोस रोड़, कोलकाता- 700020 में है. इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को इ-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्ते बैंक की वेबसाइट http://www.central bankofinda.co.in, htttp://ibapi.in और <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालान के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-bक्रय आईबीएपीआई के पोर्टल (htttp://www.ibapi.in) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड़ कर सकते हैं । इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट www.mstcecommerce .com पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
2. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए(EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
3. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (<https://www.mstcecommerce.com> ) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि ( इएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
4. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 18.09.2023 साँय 5.00 बजे तक**।
5. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धत “बिड बोली वृद्धि राशि” के गुणन मे वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
7. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
8. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित ‘बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. ( प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वत: ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढे हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| खाता संख्या | खाता का नाम | आईएफएससी कोड / शाखा नाम |
| 3541639109 | AUTHORISED OFFICER RO JABALPUR | CBIN0280743 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नेपियर टाउन, जबलपुर |

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने मे असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा

के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुन: नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

1. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क,फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
2. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकर/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
3. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड‌‌ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
4. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है. अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
5. सम्पत्ति की बिक्री ‘जहां है जैसी है, जो है जैसी है’ के आधार पर की जा रही है. निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार,देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण,मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार,गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयतएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है,(अगर कोई हैं). आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है. सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
7. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, [www.ibapi.in](http://www.ibapi.in) और [www. Centralbank ofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृतशर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
8. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्यों कि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
9. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.
10. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : **संबन्धित शाखा –एम. पी. एच. बी. (मो. 8226012856), जबलपुर सिटी (मो. 8226012834), विजयनगर (मो. 8226012883), नेपियर टाउन (मो. 8226012858), जी सी एफ़ (मो. 8226012825),एम आई सी आई (मो. 8226012763), बिलहरी जबलपुर (मो. 8226012811)** से बैंकिंग कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध मे अन्य किसी जानकारी के लिए **श्री अनिल नायक मो. 8226014333**, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर, ईमेल- recvjabaro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

**स्थान : जबलपुर**

**दिनांक : 05.08.2023 कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी**

II तल, साउथ एवेन्यू मॉल के सामने, पोलिपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र) 482008

Mob.  **8226014333** email – recvjabaro@centralbank.co.in